



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने कोर्ट से फरार वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद । इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा कोर्ट से फरार वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध



तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। दौराने पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त द्वारा की गई फायरिंग से थाना कोतवाली बागपत पर नियुक्त आरक्षी 243 मनोज कुमार घायल हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त सचिन उर्फ डेंजर पुत्र कर्मवीर कोर्ट परिसर बागपत से फरार हो गया था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 708/22 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत किया गया ।

इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सचिन उर्फ डेंजर पुत्र कर्मवीर निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी की विवरण-

● एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 282/15 धारा 302/201 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0स0 460/15 धारा 307/34 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0स0 462/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0स0 868/15 धारा 2/3 गेंगस्टर अधि. थाना बागपत जनपद बागपत ।

5-मु0असं0 213/17 धारा 380/457 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

6- मु0असं0 83/17 धारा 323/406/420/504 भादवि व एससीएसटी एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।

7- मु0असं0 350/17 धारा 2/3 गेंगस्टर अधि. थाना दोघट जनपद बागपत ।

8- मु0असं0 708/22 धारा 223/224 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।

9- मु0असं0 710/22 धारा 307 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।

10- मु0असं0 711/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री रविरतन सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत ।

3-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त थाना कोतवाली बागपत ।

4-का0 243 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

5-का0 698 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

6-का0 234 दीपक कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

7-का0 461 रोहित भाटी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13-07-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 709/22 धारा
147/149/336/504/506/353 भादवि से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.07.22 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरचन्दपुर में दो पक्षों किसी बात को लेकर लाठी-डण्डे व ईट-पत्थर लेकर झगडा कर रहे हैं । समझाया नहीं माने दोनों पक्षों के लोग सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये हमलावर हुये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 709/22 धारा 147/149/336/504/ 506/353 भादवि बनाम समीर, बिलाल, साजिद, राशिद पुत्रगण शहीद, आशू, ताहिर, शाहिद पुत्रगण महबूब निवासीगण ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत व अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 709/22 धारा 147/149/336/504/506/353 भादवि से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-समीर पुत्र शहीद निवासी गांव हरचन्दपुर कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-बिलाल पुत्र शहीद निवासी गांव हरचन्दपुर कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-साजिद उर्फ भूरा पुत्र शहीद निवासी गांव हरचन्दपुर कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-राशिद पुत्र शहीद निवासी गांव हरचन्दपुर कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-आशू पुत्र महबूब निवासी गांव हरचन्दपुर कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-ताहिर पुत्र महबूब निवासी गांव हरचन्दपुर कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-शाहिद पुत्र महबूब निवासी गांव हरचन्दपुर कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री सुरेश कुमार ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त ।
- 3- का0 698 विकास कुमार ।
- 4- का0 234 दीपक ।
- 5- का0 243 मनोज ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 13.07.22

थाना छपरौली पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 186/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन व एक हुक्का (पीली धातु) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.06.22 को थाना छपरौली पर वादी श्री मनोज शर्मा पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसका मोबाइल फोन, एक हुक्का (पीली धातु) व रुपये चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 186/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 186/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन व एक हुक्का (पीली धातु) बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- महबूब पुत्र रहीसू निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2- जावेद पुत्र नबाव निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन (लावा कम्पनी)।
- चोरी का एक हुक्का (पीली धातु)। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 186/22 धारा 379/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।)

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना छपरौली-

- 1-उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 270 अमर राणा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 115 पवन नागर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

सर्विलांस टीम -

1. उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
2. एच0सी0 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
3. का0 दीपक कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
4. का0 अरुण कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
5. का0 अनुज कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 13.07.2022

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाना बडौत के मु0अ0सं0 627/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 02 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना बडौत पर वादी श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामभजन निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 20.10.2021 की रात्रि को ग्राम शाहपुर बडौली के जागरण से उसकी मोटरसाईकिल स्पलेन्डर नं0- यूपी-17-बी 0805 को किसी अज्ञात चोर ने चोरी ली। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर



मु0अ0सं0 627/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाना बडौत के मु0अ0सं0 627/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर नं0- यूपी-17-बी- 0805 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- अरविन्द पुत्र मालू निवासी पट्टी भोजान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2- गोलू पुत्र सतेन्द्र निवासी पट्टी भोजान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

1- चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल स्पलेन्डर न0- यूपी-17बी- 0805 (सम्बन्धित

मु0अ0स0 627/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दलवीर सिंह ।

2- है0का0 334 मुनी देव ।

3- का0 1017 अजय यादव ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 13.07.2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/22 धारा 366/507 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/22 धारा 366/507 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री रक्षपाल सिंह ।

2-म0का0- 326 रश्मि पवार ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 13.07.22

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 208/22 धारा 323/452/308/504/506
भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 12.07.22 को थाना छपरौली पर वादी शान मोहम्मद पुत्र अल्लाराजी निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1.इसरार, 2. इस्तिकार 3. मौहम्मद साहिब पुत्रगण जान मौहम्मद व 4. जान मौहम्मद पुत्र अल्लाराजी समस्त निवासीगण ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा



वादी के घर में घुसकर वादी व उसकी पत्नि एवं पुत्रियों के साथ मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी जिससे वादी की पुत्री के सिर में चोट लगने से बेहोश हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 208/22 धारा 323/452/308/504/506 भादवि में पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 208/22 धारा 323/452/308/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मौहम्मद साहिब पुत्र जान मौहम्मद निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2. जान मौहम्मद पुत्र अल्लाराजी निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना छपरौली ।
- 2- का0 993 अंकुल कुमार थाना छपरौली ।
- 3- का0 501 राज सिंह थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनाँक 13-07-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 577/22 धारा
325/323/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 29-06-2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वादिया श्रीमती नेहा पत्नी राहुल अग्रवाल निवासी नई बस्ती करुबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके पति राहुल अग्रवाल के साथ शोबीर पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला



जनपद बागपत व प्रदीप पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने मारपीट की तथा उसके पति का सैमसंग मोबाइल फोन व 28000/- ले लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 577/22 धारा 394/506/325 भादवि पंजीकृत किया गया था । विवेचना से उपरोक्त अभियोग में धारा 394 भादवि का होना नहीं

पाया गया है तथा धारा 323/504 भादवि का होना पाया गया । जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में विवेचक द्वारा धारा 394 भादवि का लोप कर धारा 323/504 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 577/22 धारा 325/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1- शोबीर व 2- प्रदीप तोमर को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- शोबीर पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- प्रदीप तोमर पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0- श्री कैलाशचन्द थाना बडौत ।
- 2- है0का0 322 राजकुमार थाना बडौत ।
- 3- का0- 972 आदित्य थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 13.07.2022

थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वांरटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- जहीर पुत्र फिरोज अख्तर निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रक्षपाल सिंह
2. का0 1002 तरुण कुमार
3. का0 343 पुरुषोत्तम